**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3863**

**02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**सरकारी/निजी शिपयार्ड कंपनियों की जहाज निर्माण परियोजनाएं**

**3863. श्री के0टी0एस0तुलसीः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या यह सच है कि आरंभिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में यह प्रावधान था कि लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक (एलपीडी) परियोजना के तहत अपेक्षित चार उभयचर जहाज का निर्माण सरकारी और निजी, दोनों तरह की शिपयार्ड कंपनियों द्वारा किया जाना है;
2. यदि हां, तो इस परियोजना के लिए सूचीबद्ध की गई शिपयार्ड कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और
3. क्या किसी सरकारी शिपयार्ड कंपनियों को इस परियोजना के लिए सूचीबद्ध किया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.सुभाष भामरे)**

1. से (ग) रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 4 अक्तूबर, 2010 को खरीदों और बनाओ (भारतीय) के अंतर्गत चार लैडिंग प्लैटफार्म डॉक (एलपीडी) के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की, जहां प्रतिर्स्पधात्मक आधार पर भारतीय शिपयार्ड द्वारा दो एलपीडी और नामांकन आधार पर एल 1 लागत पर मेसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) द्वारा दो एलपीडी का निर्माण किया जाना था। डीएसी ने 21 फरवरी, 2017 को यह निदेश दिया है कि सभी चार एलपीडी का निर्माण नामांकन के बिना एल1 शिपयार्ड द्वारा किया जाना है।

\*\*\*